



राजस्थान राज्य सूचना आयोग  
ओटीएस कैंपस के पास, झालाना लिंक रोड, जवाहर लाल नेहरू  
मार्ग, जयपुर

(फोन एवं फैक्स नं. 0141-2719136)

क्रमांक-प 6( )रा.सू.आ. / संस्था / 2020 / 629-639

दिनांक 23/03/2020

आदेश

कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण बचाव के उपायों के मध्यनजर निर्देशानुसार दिनांक 31 मार्च 2020 तक राजस्थान राज्य सूचना आयोग के सभी कोर्टों में सुनवाई स्थागित की जाती है।

आगामी सुनवाई की तिथि से आयोग की वेबसाइट / नोटिस बोर्ड पर सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी।

(राधे प्रताप सिंह)

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग  
जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है -

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त
2. निजी सचिव, माननीय सूचना आयुक्त द्वितीय / तृतीय
3. प्रोग्रामर को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश को आयोग की वेबसाइट पर अभिलम्ब अपलोड करना सुनिश्चित करे।
4. नोटिस बोर्ड
5. गार्ड पत्रावली